न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां R.T.S.

मिसल नं. ::: 31/2022

सरकार बनाम सहीराम पुत्र झब्बुराम, जाति–जाट, निवासी– सूरजगढ़

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 30.03.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल सहीराम पुत्र झब्बुराम, जाति–जाट, निवासी–सूरजगढ़ द्वारा मौजा सूरजगढ़ की राजकीय भूमि ख.नं. 1292 कुल रकबा 0.77 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.0010 है0 भूमि पर पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया उक्त भूखण्ड उनका कयशुदा है तथा भूमि नगरपालिका के अधीन आती है तथा अपना पुराना कब्जा बताया है। गैर सायल ने अपने कब्जे के विधिक होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश नही किया। गैर सायल की ओर से प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नही माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं........ 2 ....
वर्ष 2021-22 में रुपये ...5/- कायम किये।
राजस्व लेखाकार